प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्ब बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

बटी बचाओ • क्टी पढाकी

वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : <u>dicgc@rbi.org.in</u>

August 08, 2024

Deposit Insurance Scheme, 1961-Cancellation of Registration- Uravakonda Cooperative Town Bank Ltd., Andhra Pradesh जमा बीमा योजना, 1961 - करना रद्द पंजीकरण - उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

The Reserve Bank of India (RBI), vide order DOR.MON.LC-01/12.22.789/2024-25 dated July 19, 2024, has cancelled the license of **Uravakonda Co-operative Town Bank Ltd., Andhra Pradesh**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा **उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक** लिमिटेड, आंध्र प्रदेश का दिया कर रद्द लाइसेंस है।

2. Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from July 20, 2024.

परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण 20 जुलाई 2024 की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

3. Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of **Uravakonda Co-operative Town Bank Ltd., Andhra Pradesh** an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., July 20, 2024, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात 20 जुलाई 2024 को, उस बैंक में उसकी

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION



वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in



जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

> (पवनजीत कौर ऋषि) उप महाप्रबंधक

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2024-2025/09